अभिभाषक प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार उप0। अभिभाषक प्रार्थी ने यह प्रा0 पत्र न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दि॰ 19-1-2005 की पालना कराने हेतु पेश किया है जिसमें अप्रार्थी पंचमसिंह को दि॰ 25/26.5.81 को विवादित आराजी ख॰ नं॰ 1232/8 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा ग्राम बिन्तीपुरा तहसील धौलपुर का किया गया आवंटन निरस्त किया गया है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी पंचमसिंह को नोटिस जारी किया गया, नोटिस पर तामील कनि-दा की रिपोर्ट अनुसार पंचमसिंह फौत हो चुका है। पंचमसिंह के वारिसान शान्ति देवी पंचमसिंह, किशनसिंह, नैमी, राजवीर, सुग्रीव, सर्वेश को नोटिस जारी किये गये परन्तु वह बावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं हुये अत: उनके विरुद्ध दिनांक 26/5/18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार को उक्त आदेश की पालना किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अत: प्रार्थी का प्रा॰ पत्र धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्याया॰ का कोई स्थगन आदेश न हो तो न्याया॰ RAA भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 19-1-2005 की पालना सुनिश्चित करें। तहसीलदार धौलपुर को पत्र जारी किया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

[हरफूल सिंह यादव]
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर